يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن
كُنَّ نِسَآءَ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ
وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا
تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ * وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ
أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ
وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ
دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ
فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ
غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾ تِلۡكَ
حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي
مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Theme										
Prescribed shares in inheritance. Inheritance of spouse's property. Commandment to abide by the limit of Allah.	विरासत में मुक़र्ररा हिस्से। मियाँ बीवी की एक दूसरे की मीरास में हिस्सेदारी। अल्लाह तआला की मुक़र्रर कर्दा हुदूद की पाबंदी का हुक्म।									
Tarjumani										
In regard to inheritance, Allah commands you concerning your children: that the share of a boy shall be twice that of a girl. In the case where there are more than two girls, their share will be two thirds of the estate; but if there is only one girl, her share will be one half of the estate. If the deceased left children behind, each of the parents shall get one sixth of the estate, but if the deceased left no children and the parents are the only heirs, the mother shall get one third of the estate, but if the deceased left brothers or sisters, then the mother will get one sixth of it. The distribution in all cases shall be after fulfilling the terms of any bequest and the payment of debts. With regards to your parents and your children, you do not know who is more beneficial to you, there-fore, Allah has issued this ordinance.	तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है	अगर (मैयित की वारिस) दो से ज़्यादा लड़कियाँ हों तो उन्हें तरके का दो-तिहाई दिया जाए	और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तारका उसका है	अगर मैयित साहिबे-औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए	और अगर वह साहिबे-औलाद न हो और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाए	और अगर मैयित के भाई-बहन भी हों तो छठे हिस्से की हकदार होगी	(ये सब हिस्से उस वक़्त निकले जाएँगे) जबकि वसीयत, जो मैयित ने की हो पूरी कर दी जाए और क़र्ज़ जो उसपर हो अदा कर दिया जाए	तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ-बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज़े-नफ़ा तुमसे क़रीबतर है	ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ और सारी मस्लहतों का जाननेवाला है	और तुम्हारी

Surely, Allah is the Knowledgeable, Wise. You shall inherit one half of your wives' estate if they leave no child, but if they leave behind a child then you will get one fourth of their estate, after fulfilling the terms of their last will and the payment of debts. Your wives shall inherit one fourth if you leave no child behind you; but if you leave a child, then they shall get one-eighth of your estate; after fulfilling the terms of your last will and the payment of debts. If a man or a woman leaves neither ascendant nor descendants but has left a brother or a sister, they shall each inherit one sixth, but if they are more than two, they shall share one third of the estate; after fulfilling the terms of the last will and the payment of debts, so that no loss is caused to anyone. Thus is the commandment of Allah. Allah is Knowledgeable, Forbearing. These are the limits set by Allah: those who obey Allah and His Rasool will be admitted to paradise, beneath which rivers flow, to live therein forever, and that will be a Great Achievement. But the ones who disobey Allah and His Rasool, and transgress His limits, they will be cast to Hellfire to live therein forever. They shall have a humiliating punishment.	बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वे बेऔलाद हों, वरना औलाद होने की सूरत में तरके का एक-चौथाई हिस्सा तुम्हारा है जबकि वसीयत जो उन्होंने की हो पूरी कर दी जाए, और क़र्ज़ जो उन्होंने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए	और वे तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बेऔलाद हो, वरना साहिबे-औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा आठवाँ होगा, बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो वह पूरी कर दी जाए और जो क़र्ज़ तुमने छोड़ा हो वह अदा कर दिया जाए	और अगर वह मर्द या औरत (जिसकी मीरास तकसीमतलब है) बे-औलाद भी हो और उसके माँ-बाप भी ज़िन्दा न हों, मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, और भाई-बहन एक से ज़्यादा हों तो कुल तरके के एक तिहाई में वे सब शरीक होंगे, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए, और क़र्ज़ जो मैयित ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए, बशर्ते कि वह ज़रर-रसा न हो	यह हुक्म है अल्लाह की तरफ़ से, और अल्लाह दाना व बीना और नर्मखू है	ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं	जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और इन बाग़ों में वह हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है	और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज़ कर जाएगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वह हमेशा रहेगा और उसके लिए रुसवाकुन

	सज़ा है।
Tafsir	